बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या– पी0आर0– /2023

इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2024 मे सम्मिलित होने हेतु 11वीं कक्षा में सत्र 2022–24 में विधिवत् नामांकित नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी, जो सूचीकरण/अनुमति से वंचित हैं, उनका ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरे जाने एवं शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) जमा करने हेतु दिनांक 15.09.2023 से 18.09.2023 तक अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा इन्टरमीडिएट/+2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान, संबंधित विद्यार्थियों, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति संख्या पी0आर0 214/2022, पी0आर0 233/2022, पी0आर0 244/2022, पी0आर0 251/2022, पी0आर0 06/2023, पी0आर0 18/2023, पी0आर0 26/2023 एवं पी0 आर0 268/2023 के द्वारा 11वीं कक्षा में विधिवत् नामांकित नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों का संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से **दिनांक 31.08.2023 तक** ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था। कतिपय शिक्षण संस्थानों के प्रधान द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सूचीकरण आवेदन ऑनलाईन भरने के क्रम में वैध रूप से नामांकित एवं अर्हित कुछेक छात्र/छात्रा का ऑनलाईन सूचीकरण करना छूट गया है। ऑनलाईन सूचीकरण के लिए छात्र/छात्रा/अभिभावक/शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा बार–बार अनुरोध किए जा रहे है।

2. वर्णित परिस्थिति में इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने हेतु वैध रूप से नामांकित एवं अर्हित कोटि के ऐसे वंचित छात्र/छात्रा के हित को ध्यान में रखते हुए सूचीकरण आवेदन भरे जाने एवं शुल्क **(विलम्ब शुल्क के साथ)** जमा करने हेतु **दिनांक 15.09.2023** से **18.09.2023** तक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। शिक्षण संस्थानों के प्रधान सूचीकरण से वंचित छात्र/छात्रा का उक्त अवधि में ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरना सुनिश्चित करेंगे। सूचीकरण आवेदन समिति के पोर्टल **seniorsecondary.biharboardonline.com** पर उपलब्ध है। ऑनलाईन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरते समय संबंधित विद्यार्थी की उपस्थिति अनिवार्य है। विद्यार्थी की मौजूदगी में ही सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरा जाएगा एवं भरने के तुरंत बाद शिक्षण संस्थान के प्रधान उनका डमी सूचीकरण कार्ड समिति के वेबसाईट से डाउनलोड कर संबंधित विद्यार्थी को मिलान के लिए उपलब्ध करायेंगे। विद्यार्थी उन विवरणों को भली–भाँति मिलान कर स्वयं संतुष्ट हो लेंगे कि सूचीकरण में अंकित सभी विवरणी सही–सही है। यदि सूचीकरण में त्रुटि हो, तो उसका सुधार कर अपने हस्ताक्षर के साथ तुरंत शिक्षण संस्थान के प्रधान को उपलब्ध करायेंगे, ताकि शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा निर्धारित अवधि में सुधार किया जा सके।

2.1 दिनांक 15.09.2023 से 18.09.2023 के बीच जिन छुटे हुए विद्यार्थियों का सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरा जाएगा, उनका सूचीकरण प्रमाण पत्र समिति के वेबसाईट **seniorsecondary.biharboardonline.com** पर **दिनांक 19.09.2023** को अपलोड कर दिया जाएगा। संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान उसे डाउनलोड कर संबंधित विद्यार्थी को उपलब्ध करा देंगे, ताकि उनके परीक्षा आवेदन पर सूचीकरण संख्या अंकित किया जा सके और परीक्षा आवेदन ऑनलाईन भरा जा सके।

सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरे जाने हेतु निर्धारित शुल्क **(विलम्ब शुल्क के साथ)** का विवरण निम्नवत् है:–

14/9/23 14.9.23 14.9.23

छात्र/छात्रा की कोटि	मद	निर्धारित शुल्क	निर्धारित शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ)
	सूचीकरण आवेदन शुल्क (सभी कोटि के छात्र/छात्राओं के लिए)	60/–	60/–
	ऑनलाइन शुल्क	25/–	25/–
नियमित कोटि एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए	(i) सूचीकरण शुल्क	400/–	550/–
	(ii) इमीग्रेशन शुल्क	200/–	350/–
स्वतंत्र कोटि के लिए	(i) सूचीकरण शुल्क	400/–	550/–
	(ii) इमीग्रेशन शुल्क	200/–	350/–
	(iii) अनुमति शुल्क	400/–	550/–
नियमित कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क		485/–	**635/–**
स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क		**885/–**	**1185/–**
इमीग्रेशन शुल्क सिर्फ अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्रा के लिये अनुमान्य है। अन्य बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) **भी अपने शिक्षण संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।**			
अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण नियमित कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क		**685/–**	**985/–**
अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क		**1085/–**	**1535/–**

3. छुटे हुए विद्यार्थियों के सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरने से संबंधित उपर्युक्त सभी प्रक्रिया पूरी हो जाने के उपरांत ही शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा **दिनांक 22.09.2023** तक ऑनलाईन परीक्षा आवेदन भरा जाएगा एवं शुल्क जमा किया जाएगा।

4. जिन विद्यार्थियों का शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरा गया है, परन्तु चालान नहीं निकल पाने अथवा अन्य किसी कारण वश शुल्क नहीं जमा कर सकें हों, तो वे शुल्क उक्त अवधि में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए समिति का पोर्टल seniorsecondary.biharboardonline.com खुला रहेगा।

5. ज्ञातव्य हो कि इस वर्ष से यह प्रावधान किया गया है कि जितने छात्र/छात्राओं का परीक्षा आवेदन भरा जा रहा है, उतने छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर निर्धारित शुल्क शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा प्रथमतः जमा करने के उपरांत ही परीक्षा आवेदन स्वीकार किए जा रहे है। जिस विद्यार्थी का सूचीकरण शुल्क जमा है, उसी विद्यार्थी का परीक्षा आवेदन भरने के समय पोर्टल पर नाम दिखाई दे रहा है। अतः जिन विद्यार्थियों का सूचीकरण शुल्क बकाया है, उन विद्यार्थियों का सूचीकरण शुल्क अनिवार्य रूप जमा करना सुनिश्चित करें, जिससे कि उनका परीक्षा आवेदन स्वीकार किया जा सके।

6. सूचीकरण से संबंधित विज्ञप्ति संख्या पी0 आर0 214/2022 की अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

7. शिक्षण संस्थान के प्रधान से अनुरोध है कि प्राथमिकता देते हुए सत्र–2022–2024 के सही अभ्यर्थित्व वाले विधार्थियों का ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरवाने एवं शुल्क जमा करवानें की सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

8. सभी विद्यार्थियों द्वारा सूचीकरण प्रमाण पत्र में अंकित विवरणी के अनुसार परीक्षा आवेदन पत्र भरकर दो प्रति में अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास जमा किया जाएगा। इसमे से एक प्रति पर शिक्षण संस्थान के प्रधान अपना हस्ताक्षर, मुहर एवं तिथि अंकित करते हुए विद्यार्थियों को वापस कर देंगे, ताकि विद्यार्थियों के पास साक्ष्य के रूप में संधारित रहे। परीक्षा आवेदन पत्र की दूसरी प्रति शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास संधारित रहेगा। शिक्षण संस्थान के प्रधान विद्यार्थियों

द्वारा जमा किये गए परीक्षा आवेदन पत्र में भरे गये विवरण के आधार पर अपने संस्थान में संधारित अभिलेख से भली–भाँति मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे कि विद्यार्थियों द्वारा भरे गए विवरण सही हैं। तत्पश्चात **दिनांक 22.09.2023 तक** की अवधि में निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा आवेदन ऑनलाईन भरने के लिए विज्ञप्ति संख्या पी०आर० **262/2023 एवं पी०आर० 305/2023** की अन्य शर्तें यथावत रहेगी, जो **दिनांक 25.08.2023** एवं **10.09.2023** को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित है एवं समिति के पोर्टल पर भी अपलोड है।

9. ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्पलाइन नं0–0612–2230039 अथवा E-mail Id: reg.bsebhelpdesk@gmail.com पर सूचित कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

10. इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने हेतु सत्र 2022–2024 में सूचीकरण के लिए यह अंतिम अवसर होगा।

ह० 14.9.23

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक :–BSEB(SS)/ KEN/...1056/2023 पटना, दिनांक :–..14../09..../2023

प्रतिलिपि :
1. जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। यह भी अनुरोध है कि निदेशानुसार विज्ञापन प्रसारण की सूचना राज्य के सभी +2 विद्यालय/महाविद्यालयों को ई–मेल/WhatsApp के द्वारा प्रेषित किया जाए। इसकी सूचना विद्यालय प्रधान एवं संबधित विद्यार्थियों को SMS के द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। यह सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किया जाए। तद्नुसार सभी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।
2. मे० केल्ट्रॉन प्रा० लि० को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुसार सूचीकरण/अनुमति आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा करने हेतु निर्धारित समय तक पोर्टल चालू रखने की सभी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन +2विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस लिया जा चुका है, वैसे +2 विद्यालयों से कदापि सूचीकरण/अनुमति आवेदन नहीं भरा जा सके, इसके लिए अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
3. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को वर्णित आलोक में सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि अधीनस्थ सभी विद्यालयों के प्रधान को सूचीकरण/अनुमति आवेदन से वंचित/छुटे हुए छात्र/छात्राओं का अंतिम अवसर के रूप में निर्धारित अवधि (दिनांक 15.09.2023 से 18.09.2023 तक) में ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन विलंब शुल्क के साथ भरने हेतु वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पष्ट रूप से निदेशित करने की कृपा की जाए।
4. शाखा प्रबंधक, Axis Bank, Patliputra Colony Branch, पटना एवं शाखा प्रबंधक, इंडियन बैंक, बुद्धमार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. उप निदेशक, आई0टी0 (उ०मा०) को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि अपने निगरानी एवं पर्यवेक्षण में उक्त के आलोक में आवश्यक व्यवस्था कराना सुनिश्चित की जाय तथा इसका निरंतर अनुश्रवण किया जाय ताकि किसी प्रकार की त्रुटि एवं विसंगति न हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन +2 विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस लिया जा चुका है, वैसे +2 विद्यालयों से कदापि सूचीकरण/अनुमति आवेदन नहीं भरा जा सके, इसलिए निदेशक (शैक्षणिक) से समन्वय कर ऐसे +2 विद्यालय/महाविद्यालयों की अद्यतन सूची अनिवार्य रूप से प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह भी अनुरोध है कि छात्र/छात्रा, मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय/ महाविद्यालयों के प्रधान, जिला

14/9/23 14.9.23 14.9.23

कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0शि0), जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी के जानकारी हेतु इस विज्ञप्ति की प्रति समिति के निर्दिष्ट BSEB Mobile App पर डाल दिया जाय ताकि सभी संबंधितों द्वारा अपने स्तर पर इस निमित्त आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

यह भी अनुरोध है कि निदेशानुसार विज्ञापन प्रसारण की सूचना राज्य के सभी +2 विद्यालय/महाविद्यालयों को ई–मेल/WhatsApp के द्वारा प्रेषित किया जाए। इसकी सूचना +2 विद्यालय/महाविद्यालयों प्रधान एवं संबधित विद्यार्थियों को SMS के द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। यह सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किया जाए। तद्नुसार सभी आवश्यक कार्रवाई करते हुए जन संपर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

6. सभी उप सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

7. निदेशक (शैक्षणिक), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.. अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी, निदेशक, आई0टी0 तथा परीक्षा नियंत्रक (मा०) को सूचनार्थ प्रेषित।

14.9.23

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

14/9/23 14.9.23